कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

सुनिल कुमार व्या. वाणिज्य राउमावि रोजवाडी, बस्सी–जयपुर में दिनांक 26.08.2021 से कार्यरत है। सुनिल कुमार ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3625/2021 सुनिल कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 09.09.21 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया है एवं सक्षम प्राधिकारी को पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारित करने की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय अपील अधिकरण, जयपुर निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुनिल कुमार ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के माता–पिता के वृद्ध होने और पदस्थापित स्थान का 160 कि0मी की दूरी पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि दतोब–टोंक, राउमावि पीपलू–टोंक और राउमावि सिरस–टोंक में किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अपीलसंख्या 3625/सुनिल कुमार/को.के/20–21 दिनांकः– 29/01/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते
Scanned with CamScanner